संख्या–93/XXVII(7)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 12 मई, 2017

विषयः– वेतन/भत्ते के विसंगति एवं उच्चीकरण के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि अधिकांश प्रशासनिक विभागों के माध्यम से वेतन विसंगति एवं वेतनमान उच्चीकरण के प्रकरण वित्त विभाग के माध्यम से वेतन समिति को प्रेषित किये जा चुके हैं।

2. इस सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा अपनी संस्तुति दिये जाने के उपरान्त ही वित्त विभाग द्वारा अपना मत स्थिर करके निर्णय लिया जा सकेगा। सातवें पुनरीक्षित वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने के सम्बन्ध में वेतन समिति की रिपोर्ट वित्त विभाग में प्राप्त होने के पश्चात राज्य में सातवें पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जा चुके है। वेतन विसंगति/वेतनमानों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में वेतन समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समिति की संस्तुतियों पर वित्त विभाग द्वारा अग्रेत्तर निर्णय लिये जाने तक वेतन विसंगति/वेतनमान उच्चीकरण/भत्तों के प्रकरण वित्त को संवर्त न किये जायें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।